

डीजी-परिपत्र संख्या- 52/ 2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०

रिग्नेचर बिल्डिंग

शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,  
लखनऊ - 226002

फोन नं. 0522-2724003 / 2390240, फैक्स नं. 0522-2724009

सीयूजी नं. 9454400101

ई-मेल : police.up@nic.in

वेबसाइट : https://uppolice.gov.in

दिनांक: लखनऊ: दिसम्बर 31, 2023

विजय कुमार, IPS  
पुलिस महानिदेशक एवं  
पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश



विषय: वृद्धजनों एवं निराश्रितों का ठण्ड से बचाव किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत है कि वर्तमान में अत्यन्त कड़ाके की ठंड तथा कोहरा गिर रहा है, जिससे शीत लहर एवं गलन काफी बढ़ गयी है। यह मौसम रात्रि में खुले में रहने वाले वृद्धजनों एवं निराश्रितों के लिए कष्टकारी है। अतः ठण्ड से बचाव के प्रबन्ध उनके लिए और भी आवश्यक हो जाते हैं।

2. वृद्धजनों एवं निराश्रितों के ठण्ड से बचाव हेतु निम्नांकित कार्यवाही किया जाना आवश्यक है:-

➤ रात्रि के समय गस्त में लगे पुलिस कर्मियों विशेषकर पुलिस पेट्रोलिंग एवं पी०आर०वी०-112 में लगे पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिये जायें कि यदि कहीं पर भी कोई वृद्ध/निराश्रित व्यक्ति मिलता है, तो उन्हें समझा बुझाकर ससम्मान निकटतम रैन बसेरों अथवा वृद्धाश्रमों में ले जाकर ठण्ड से बचाव की समुचित व्यवस्था करायी जाये।

➤ छोटे-बड़े रेलवे प्लेटफार्मों/रेलवे स्टेशनों पर एवं उनके आस-पास कोई वृद्ध/निराश्रित व्यक्ति मिलता है, तो उनको ठण्ड से बचाव हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।

➤ इस सम्बन्ध में स्थानीय प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग के हर स्तर से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

➤ यदि आवश्यक हो तो उनकी समुचित चिकित्सीय व्यवस्था करायी जाये।

3. आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने कमिश्नरेट एवं जनपदों में उपरोक्त निर्देशों का पालन प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

( विजय कुमार )  
31/12

1. समस्त पुलिस आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,  
प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय से कि वह अपने स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों को उपरोक्त सम्बन्ध में तदनुसार निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

1- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।

2- अपर पुलिस महानिदेशक, यू०पी०-112, उ०प्र०।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ०प्र०।

4- समस्त-परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।